DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI ARVIND NETAM): On behalf of Shri D. P. Yadav, I beg to lay on the Table—

(1) A copy of the Annual Report of the Indian Institute of Science, Bangalore for the year 1974-75. [*Placed in Library. See* No. LT—10318/76].

(2) A statement (Hindi and English versions) explaining reasons for not laying simultaneously the Hindi version of the above Report. [*Placed in Library. See* No. LT—10319/76].

11·04 hrs.

## MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary-General of Rajya Sabha:—

(i) "In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Prevention of Food Adulteration (Amendment) Bill, 1976, which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 27th January, 1976."

(ii) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Pondicherry Appropriation Bill, 1976, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 27th January, 1976, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

(iii) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 2nd February, 1976, agreed without any amendment to the Assam Sillimanite Limited (Acquisition and Transfer of Refractory Plant) Bill, 1976, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 27th January, 1976."

---

## PREVENTION OF FOOD ADULTERATION (AMENDMENT) BILL

AS PASSED BY RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Sir, I lay on the Table of the House the Prevention of Food Adulteration (Amendment) Bill, 1976, as passed by Rajya Sabha.

11·05 hrs.

## CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED ACCIDENT IN BELLAMPALI COAL MINE RESULTING IN DEATH OF SOME MINERS.

SARDAR SWARAN SINGH SOKHI (Jamshedpur): I call the attention of the Minister of Energy to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon:

"The reported accident on the 28th January, 1976 in Bellampali mine of the Singareni collieries, resulting in the death of 5 miners and injury to several others."

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI K. C. PANT): I regret to inform the House that according to the information received from the Singareni Collieries Co. Ltd. (a public sector undertaking under the Government of Andhra Pradesh), on the 28th January, 1976 at about 10·30 P.M. in the 2nd incline of Bellampali Colliery there was an accident due to a massive roof fall, measuring 13 metres/4.5 mete

[Shri K. C. Pant]

average/2·5 metres thick, killing three workers on the spot. Two others who were trapped, were rescued and removed to the hospital but succumbed to the injuries on 29-1-1976. Senior officers of the Company, including the Chairman-cum-Managing Director visited the Colliery immediately. An ex-gratia payment of Rs. 500/- each was given to the families of the deceased workers. The compensation amount, according to the Workmen's Compensation Act, would be paid shortly to the deceased families. The Directorate General of Mines Safety has enquired into the accident and their final report is awaited. I am sure the House will join me in conveying our deep sympathies to the bereaved families.

**सरदार स्वर्ण सिंह** (सोखी) यह बड़े अफसोस की बात है कि चसनाला की दुर्घटना के फौरन बाद सिंग्रेनी कोलियरीज में यह एक्सिडेंट हुआ है। इस की जिम्मेदारी लेबर मिनिस्टर और एनर्जी मिनिस्टर दोनों पर है। मुझे खुशी है कि लेबर मिनिस्टर साहब भी हाउस में मौजूद है। मैं यह जानना चाहता हू कि इनक्लाइन में यह जो एक्सिडेंट हुआ है, क्या उस से पहले डायरेक्ट्रेट-जेनरल आफ माइन्ज सेफ्टी द्वारा इस माइन का पीरियाडिकल चैक होता था। क्या मैनेजमेंट के सेफ्टी डिपार्टमेंट ने भी कभी इस को चैक किया था ? क्या कम्पेन्सेशन पुराने रेट पर दिया जायेगा ? मैं यह भी जानना चाहता हू कि क्या 500 रुपये का एक्सग्रेशिया पेमेंट काफी है और क्या इस में वर्कर्ज की फैमिलीज की देख-भाल हो सकती है। मेरे पास यह बी० सी० सी० एल० की 1973–74 की एनुअल रिपोर्ट है। इस के पेज 25 पर मैनेजमेंट और डेवेलपमेंट वगैरह के बारे में सभी बातें कही गई है, लेकिन उस से सेफ्टी का नाम तक भी नहीं है।

माइन्ज की सेफ्टी की जिम्मेदारी सिर्फ डायरेक्ट्रेट जेनरल आफ माइन्ज सेफ्टी के ऊपर छोड़ देना उचित नहीं है। क्या मैनेजमेंट की भी यह जिम्मेदारी नहीं है कि वह अपनी माइन्ज की सेफ्टी का ध्यान रखे ? मिनिस्टर साहब ने कहा है कि डायरेक्ट्रेट-जेनरल आफ माइन्ज सेफ्टी ने इस दुर्घटना के बारे में एनक्वायरी की है। उस एनक्वायरी से क्या होगा ? क्या सरकार ने कोई एनक्वायरी कराई है या नहीं और क्या वह कोई एनक्वायरी करने जा रही है। डायरेक्ट्रेट-जेनरल आफ माइन्ज सेफ्टी का तो पता चल गया है कि वे लोग कितना अच्छा काम करते हैं। चसनाला में अभी तक सिर्फ पचास लाशें निकल सकी है।

**अध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्य सवाल पूछें।

**सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** मैं यह जानना चाहता हू कि आइन्दा माइन्ज की सेफ्टी के लिए सरकार क्या प्राविजन कर रही है। बिहार में रानीगंज में जो माइन्ज बन्द हुई है क्या वे बन्द रहेंगी ? इस तरह के एक्सिडेंट्स को रोकने के लिए सरकार क्या इन्तजाम कर रही है ?

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त:** जैसा कि मैं ने कहा है, सिंग्रेनी कोलमाइन्ज आन्ध्र प्रदेश सरकार के नीचे है। हम ने वहा से पूरी सूचना मगाई है। इस एक्सिडेंट के बारे में हम को सूचना देने के लिए आज उस के चेयरमैन खुद आये है। उन के आफिसर्ज ने जो एनक्वायरी की थी, उस से यह मालूम पड़ा कि एक्सिडेंट के दस दिन पहले जैनेरल-मैनेजर ने कोलियरी का इस्पैक्शन किया, जो आम तौर किया जाता है। कोलियरी मैनेजर रोज इस्पैक्शन करता था। उन्होंने उस रोज भी इस्पैक्शन किया था। साधारणतया जो इस्पैक्शन हुआ करते हैं, वे इस कोलियरी में हुए थे। उस के बावजूद यह एक्सिडेंट हो गया। उस में एक फाल्ट था। जहा पर कोयला निकाला जा रहा था, वह जगह नहीं थी।

बल्कि वहीं जाने के लिए जो गैलरी थी उस में वह ऊपर से रूफ गिरी। उस में जो डी जी एम एस की एनक्वायरी हुई है उस की अभी जो प्रेलिमिनरी रिपोर्ट आई है उस में भी किसी की जिम्मेदारी नहीं रखी गई है। उस में उन्होंने कहा है कि --

"The accident appears to be a misadventure; the accident is due to the factors beyond human control."

यह अभी प्रेलिमिनरी रिपोर्ट है डी जी एम एस की, फाइनल नहीं है। फाइनल रिपोर्ट जब तक न आ जाये तब तक मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन आज जो एक रिपोर्ट आई है सवेरे उस में यह बात कही गई है। तो अभी तक तो इस में किसी की जिम्मेदारी की बात नहीं आती है।

जहां तक कम्पेन्सेशन का प्रश्न है यह 500 रुपया तो ऐडहाक अभी दिया गया है एक्स-ग्रेशिया पेमेंट और 7 हजार रुपया हर परिवार को दिया जायेगा। जो वर्कमैन कम्पेन्सेशन एक्ट है उस से ज्यादा यह रकम है। उसी के हिसाब से कोई लकीर के फकीर बनने की बात नहीं है, उस से ज्यादा देंगे इसके अलावा वर्कर्स भी कुछ काट्रीब्यूट कर रहे हैं कोलियरी माइन्स के वर्कर्स भी 5 रुपया फी वर्कर काट्रीब्यूट कर के दे रहे हैं जो उन को दिया जायेगा। मैनेजमेंट की तरफ से 7 हजार रुपया हर परिवार को दिया जायेगा।

आप ने पूछा कि डी जी एम एस के अलावा हम लोग क्या कर रहे हैं तो हमने भी एक इटर्नल सेफ्टी आर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर कोल माइन्ज में बनाया है और वह टर्नल सेफ्टी आर्गेनाइजेशन काम करने लगा है। उस में चाहे वह कम्पनी के स्तर पर हो या एरिया के स्तर पर या कोलियरी के स्तर पर हो, प्रोडक्शन से जिस का कोई सम्बन्ध नहीं हो ऐसे सेफ्टी इन्सपैक्टर नियुक्त किये गये हैं जिन को नीचे जा कर माइन्स को इन्सपैक्ट करना होता है और जिन को बताया गया है कि क्या-क्या चीजों की देखभाल करें जिस से ऐक्सीडेन्ट्स न हों।

SOME HON. MEMBERS *rose*—

MR. SPEAKER: No more questions.

**11.12 hrs.**

## ESTIMATES COMMITTEE

REPORT EIGHTY-EIGHTH AND MINUTES

SHRI TULSIDAS DASAPPA (Mysore) : I beg to present the following Report and Minutes of the Estimates Committee:—

(i) Eighty-eighth Report on the Cabinet Secretariat (Department of Personnel and Administrative Reforms)—Deputation of Indian Experts and Officers abroad.

(ii) Minutes of the sittings of the Committee relating to the above Report.

---

**11 12½ hrs.**

## STATEMENT *RE* APPOINTMENT OF COMMISSION OF INQUIRY TO ENQUIRE INTO ALLEGATIONS AGAINST THE FORMER CHIEF MINISTER AND SOME MINISTERS OF TAMIL NADU.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI OM MEHTA) : As the House is aware, allegations of corruption, favouritism, administrative and financial improprieties and abuse of official position, were being received against the erstwhile Ministry of Tamil Nadu for some time. In November, 1972, Shri M. G. Ramachandran, M.L.A. of Tamil Nadu